भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– 3472

दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूरोपीय संघ प्रवासन सहयोग

3472. श्री तापिर गाव
श्री योगेन्द्र चांदोलिया
सुश्री कंगना रनौत
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी
श्री रमेश अवस्थी
श्रीमती कमलेश जांगड़े
श्री दिलीप शईकीया
श्री खगेन मुर्मु
श्री जुगल किशोर
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन
श्री लुम्बाराम चौधरी

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भारत-यूरोपीय संघ सहयोग रूपरेखा के अंतर्गत सुरक्षित और विनियमित प्रवासन मार्गों को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा;
(ख) क्या सरकार का उत्तरपूर्व भारत और छत्तीसगढ़ में कौशल विकास पहलों को यूरोपीय देशों की श्रम बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का विचार है;
(ग) वैध आवागमन चैनलों को संवर्धित करने हुए अनियमित प्रवासन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।
(घ) क्या यूरोप में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्र संपर्क पहलों को संस्थागत रूप दिया जा रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो उत्तरपूर्व भारत और जम्मू क्षेत्र के छात्रों के लिए उपलब्ध विशिष्ट अवसर क्या हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) से (ङ) 27 जनवरी 2026 को आयोजित हाल ही में हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आवागमन पर सहयोग की व्यापक रूपरेखा पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उच्च कुशल श्रमिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और मौसमी कामगारों के लिए संरचित कानूनी आवागमन को सुगम बनाकर सुरक्षित और विनियमित प्रवासन मार्ग सुनिश्चित करना; वीजा और आव्रजन प्रक्रियाओं को सरल बनाना; निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती को बढ़ावा देना; रोजगार या उद्यमशीलता के लिए अध्ययन और शोध के बाद के प्रवास सहित दीर्घकालिक वीजा और निवास परमिट को सक्षम बनाना; कौशल विकास और योग्यताओं की मान्यता पर सहयोग को मजबूत करना; श्रम बाजार की जरूरतों पर सूचना आदान-प्रदान को बढ़ाना; और वापसी और पुनः प्रवेश पर सहयोग सहित अनियमित प्रवासन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र के लिए एक संयुक्त कार्य समूह और एक पायलट यूरोपीय संघ कानूनी गेटवे कार्यालय की स्थापना नियमित निगरानी और कानूनी प्रवासन मार्गों पर विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करके कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

भारत सरकार कौशल विकास को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि समग्र रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके और श्रम बाजार की बदलती आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

द्विपक्षीय व्यापक प्रवासन एवं आवाजाही साझेदारी करार (एमएमपीए) भारत और साझेदार देशों, यथा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क और यूरोपीय संघ के बीच आवाजाही और सहयोग के लिए संरचित रूपरेखा स्थापित करते हैं। ये करार प्रवासन के लिए स्पष्ट और कानूनी मार्ग को रेखांकित करते हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाकर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ का उपयोग करना है। मौजूदा राष्ट्रीय वीजा प्रावधानों के अतिरिक्त, इनमें भारत-विशिष्ट व्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे युवा आवाजाही योजनाएं, अध्ययन के बाद विस्तारित कार्य अवसर, लंबी अवधि के व्यावसायिक वीजा और अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरण वीजा। साथ ही, एमएमपीए अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण देते हैं, जिनमें वापसी, पुनः प्रवेश और दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को रोकने के उपाय शामिल हैं, जिससे सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार छात्रों के लिए , विशेष रूप से विदेशों में उनके हितों और कल्याण की रक्षा के लिए बनाई गई पहलों को उच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय मिशन/ केंद्र विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। दूतावास के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं ताकि

भारतीय छात्रों और छात्र संघों से बातचीत कर सकें, उन्हें विदेश में अध्ययन के दौरान आने वाली संभावित चुनौतियों, जोखिमों और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दे सकें और पाठ्यक्रमों की विश्वसनीयता या गुणवत्ता से संबंधित किसी भी मुद्दे का आकलन कर सकें। कई भारतीय मिशन अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारतीय छात्रों के लिए औपचारिक सलाह भी जारी करते हैं, जिनका उद्देश्य विदेशों में उनके हितों, कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करना है।

यूरोपीय संघ में छात्र आवागमन के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय गतिविधियाँ आयोजित की जाती रही हैं। इन सत्रों में अनियमित प्रवासन और धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं के जोखिमों पर भी चर्चा की जाती है ताकि सुरक्षित और सूचित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

यह मंत्रालय "विदेश संपर्क कार्यक्रम" भी आयोजित करता है, जिसमें राज्यों को विभिन्न प्रवासी संबंध पहलों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिनमें कोंसली , वीजा, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन मार्ग और छात्र आवाजाही शामिल हैं।

प्रभावी संचार और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को स्थानीय भारतीय मिशन / केंद्र और इस मंत्रालय के मदद पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें भारतीय मिशन/ केंद्र द्वारा बनाए गए छात्रों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए भी कहा जाता है ताकि उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। भारतीय मिशन/ केंद्र टेलीफोन कॉल, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात, सोशल मीडिया, 24×7 आपातकालीन हेल्पलाइन, कोंसली कैंप और ओपन हाउस के माध्यम से भी विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की चिंताओं का समाधान करते हैं। भ्रामक शैक्षणिक कार्यक्रमों या प्रतिकूल अनुभवों से संबंधित शिकायतों को संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और आवश्यकता पड़ने पर मेजबान देश के अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत उठाया जाता है।
